

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र.
पॉचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) 462004

क्रमांक 1314 /आउशि/शाखा-2(5)09

भोपाल दिनांक 24.06.2009

प्रति,


समस्त प्राचार्य,
शासकीय महविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय :-अतिथि विद्वान अध्यापन व्यवस्था 2009-10 के लिये जारी निर्देशों के संबंध में।

संदर्भ :-पत्र क्र. 1170/491/आउशि/शाखा-2/09 दिनांक 04.06.2009 एवं पत्र क्रमांक
1283/आउशि/शाखा-2(5)09 भोपाल दिनांक 22.06.2009

—00—

पत्र दिनांक 22.06.09 की कंडिका एक में उल्लेखित शब्द "स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत की अनिवार्यता" के स्थान पर शब्द "स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत की अनिवार्यता ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों" प्रतिस्थापित किया जाता है।




(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक 1315 /आउशि/शाखा-2(5)09

भोपाल दिनांक 24.06.2009

प्रतिलिपि-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.